

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0प्र0) की दिनांक 23.05.2013 को सम्पन्न
बैठक का कार्यवृत्त.

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0प्र0) की मार्च 2013 त्रैमास की समीक्षा बैठक दिनांक 23.05.2013 को "महाराजा सयाजीराव गायकवाड सभागार", बड़ौदा हाउस, गोमती नगर, लखनऊ में सम्पन्न हुई जिसकी अध्यक्षता श्री एस. एस. मूदंडा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा की गयी।

बैठक में डा० आलोक पाण्डे, निदेशक (सी.पी. व एम.एफ.), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार; श्री अरुण सिंघल, आई.ए.एस., प्रमुख सचिव (संस्थागत वित्त); डा० आदर्श सिंह, आई.ए.एस., मिशन डायरेक्टर, एन.आर.एल.एम.; श्री के रवीन्द्र नाईक, आई.ए.एस., आयुक्त (ग्राम्य विकास); श्री अरुण पसरीचा, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ; श्री एन. कृष्णन, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, लखनऊ व श्री शिव सिंह यादव, निदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन विशेष रूप से उपस्थित रहे। साथ ही विभिन्न बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ कार्यपालकों तथा राज्य व केन्द्र सरकार के उच्चाधिकारियों ने भी इस बैठक में सहभागिता की। भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची संलग्न है।

बैठक के प्रारम्भ में श्री डी. के. गर्ग, महाप्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0प्र0) ने श्री एस. एस. मूदंडा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा; डा० आलोक पाण्डे, निदेशक (सी.पी. व एम.एफ.), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार; श्री अरुण सिंघल, आई.ए.एस., प्रमुख सचिव (संस्थागत वित्त); डा० आदर्श सिंह, आई.ए.एस., मिशन डायरेक्टर, एन.आर.एल.एम.; श्री के रवीन्द्र नाईक, आई.ए.एस., आयुक्त (ग्राम्य विकास); श्री अरुण पसरीचा, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ; श्री एन. कृष्णन, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, लखनऊ व श्री शिव सिंह यादव, निदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन व बैठक में पधारे अन्य सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हुये कहा कि सदन में आप सभी की उपस्थिति निश्चय ही इस बात का परिचायक है कि हम सभी अपने प्रदेश तथा यहां की जनता के उत्थान के प्रति जागरूक है। श्री गर्ग ने निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डाला :—

- एस एल बी सी आंकड़ों के प्रेषण में Correctness, Consistency & Timeliness का विशेष महत्व है ताकि उपलब्धियों को सही तरह से दर्शाया जा सके। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में अभी भी काफी सुधार की आवश्यकता है तथा सभी संबंधित विभागों से सहयोग की अपेक्षा की।
- विगत 15.01.2013 को माननीय गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक डा० डी. सुब्राहाराव की अध्यक्षता में सम्पन्न विशेष एस.एल.बी.सी. बैठक में लिये गये निर्णयानुसार बैंकों द्वारा गत 29.03.2013 को -300— शाखाओं की एक साथ शुरूआत कर वह कर दिखाया जो सम्भवतः दुनिया भर में ऐतिहासिक व अभूतपूर्व रहा है। इस कार्यक्रम की सराहना माननीय केन्द्रीय वित्तमंत्री, भारत सरकार श्री पी. चिदम्बरम व माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश श्री अखिलेश यादव द्वारा भी की गयी है।
- डी.बी.टी. योजना का क्रियान्वयन प्रदेश के -6- चयनित जनपदों में दिनांक 01.07.2013 से करने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के अन्तर्गत -26- चयनित योजनाओं के लाभ्यार्थियों की



सूची का जनपदीय नोडल एजेन्सी द्वारा अग्रणी जिला प्रबंधको को प्रेषण, बैंक खातों का आधार संख्या से लिंक किया जाना, बैंकिंग नेटवर्क यथा बैंक शाखा, बी.सी.ए./कॉमन सर्विस सेन्टर का विस्तार, विभिन्न योजनाओं के लाभ्यार्थियों को डेबिट कार्ड जारी करना तथा सभी शाखाओं पर ऑन साइट ए.टी.एम. की स्थापना आदि महत्वपूर्ण बिन्दु हैं जिन पर राज्य सरकार एवं सभी संबंधित बैंकों द्वारा समयबद्ध कार्यक्रमानुसार वांछित कार्यवाही अपेक्षित है। उन्होंने सभी संबंधित से इस दिशा में शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही का आग्रह किया।

- बुनकर समुदाय हेतु भारत सरकार द्वारा कियान्वयित बुनकर केंडिट कार्ड योजना की धीमी प्रगति पर चिन्ता व्यक्त करते हुये श्री गर्ग ने नये वित्तीय वर्ष के दौरान –25,000— कार्डस जारी करने के लक्ष्य की पूर्ति हेतु सभी बैंकों द्वारा सहयोग की अपेक्षा की और अवगत कराया कि नोडल ऐजेन्सी द्वारा इस कार्यक्रम की सफलता हेतु विभिन्न जनपदों में विशेष केंडिट कैम्पस आयोजित करने का कार्यक्रम तैयार किया है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के कियान्वयन के संबंध में अवगत कराया गया कि प्रदेश स्तर पर बैंक ऑफ बड़ौदा के संयोजन में एक सब-कमेटी गठित की गयी है। वर्ष 2013–14 में चयनित –22— जनपदों के 22 विकास खण्डों में गहन कियान्वयन हेतु नोडल विभाग द्वारा रूपरेखा तैयार की गयी है एवं बैंकों द्वारा इस दिशा में समग्र प्रयास आवश्यक है।

स्वागत संबोधन के अन्त में श्री गर्ग ने सभी संबंधित विभाग प्रमुखों, बैंकों व अन्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्रदान किये जा रहे सहयोग व मार्गदर्शन हेतु धन्यवाद ज्ञापित करते हुये पुनः इस बैठक में स्वागत किया।

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में श्री एस. एस. मूदंडा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सभी अतिथियों का स्वागत व अभिनन्दन करते हुये कहा कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति का मूल उद्देश्य विभिन्न वित्तीय संस्थाओं व सरकार के मध्य एक सेतु की भूमिका निभाते हुये विकास प्रक्रिया को गति प्रदान करना है। उन्होंने निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला :—

- 15 जनवरी 2013 को माननीय गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक डा० डी. सुब्बाराव की अध्यक्षता में सम्पन्न विशेष एस.एल.बी.सी. बैठक में लिये गये निर्णयानुसार बैंकों द्वारा शाखा विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत 29 मार्च 2013 को आयोजित कार्यक्रम में माननीय केन्द्रीय वित्तमंत्री, भारत सरकार श्री पी. चिदम्बरम व माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश श्री अखिलेश यादव के करकमलों द्वारा –300— नयी शाखाओं की स्थापना कर जो कीर्तिमान स्थापित किया है उसके लिये प्रदेश सरकार व बैंकर्स विशेष रूप से बधाई के पात्र है। साथ ही साथ ऋण जमा अनुपात में गत् वर्ष के सापेक्ष दर्ज की गयी व्यापक वृद्धि पर भी उन्होंने हर्ष व्यक्त किया एवं आशा व्यक्त की कि मार्च 2014 हेतु निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु बैंकों द्वारा समग्र प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने विशेष रूप से भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का जिक करते हुये सभी शाखाओं में ए.टी.एम. की स्थापना हेतु विशेष प्रयास करने हेतु आवाहन किया।
- डी.बी.टी. योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार व बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से आवश्यक कार्यवाही अनिवार्य है ताकि दूसरे चरण में प्रदेश में चयनित –6—



जनपदो में यह कार्य सुचारू रूप से 01.07.2013 से प्रारम्भ किया जा सके। उन्होने कहा कि निश्चय ही यह योजना बैंकों के लिये काफी लाभदायक सिद्ध होगी और बैंकों को व्यवसाय वृद्धि के अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

- “स्वाभिमान” योजना के अन्तर्गत 2000 से अधिक आबादी वाले -16388- गावों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार का कार्य बैंकों द्वारा मार्च 2012 तक सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया है। इसी क्रम में 2000 से कम आबादी वाले -77421- गावों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार हेतु भी रोडमैप तैयार कर लिया गया है जिसकी अभी तक की प्रगति असंतोषजनक रही है। आवश्यकता इस बात की है कि बैंकों द्वारा मार्च 2016 तक की अवधि हेतु तैयार एवं बोर्ड द्वारा अनुमोदित वार्षिक Disaggregation Plan का क्रियान्वयन प्रभावी रूप से किया जाना चाहिये। उन्होने मार्च 2014 तक प्रत्येक शाखा में ए.टी.एम. की स्थापना, सभी पात्र किसानों को रूपे क्रेडिट कार्ड जारी करना, अल्ट्रा स्माल शाखाओं की स्थापना व नियमित संचालन, प्रत्येक परिवार का कम से कम एक बैंक खाता आदि महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर नवीन निर्देशों की जानकारी दी तथा आव्वाहन किया कि वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को पूरी तन्मयता से लागू करें ताकि बैंकों को अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के साथ ही लाभ प्रदत्ता भी हासिल हो।
- वार्षिक ऋण योजना 2012-13 के अन्तर्गत दर्ज 87.89 प्रतिशत की उपलब्धि की चर्चा करते हुये उन्होने आव्वाहन किया कि वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु तैयार एवं आज अनुमोदित ऋण योजना की शत प्रतिशत उपलब्धि हेतु सभी स्तर पर कार्यरत प्रत्येक यूनिट को अपना योगदान करना चाहिये।
- प्रदेश में अल्प संख्यक समुदाय को प्रदत्त वित्तीय सुविधाओं की प्रगति पर हर्ष व्यक्त करते हुये उन्होने कहा कि यह आवश्यक है कि अल्प संख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में नयी खोले जाने वाली शाखाओं का विस्तार किया जाये।
- प्रदेश में बैंक ऋण वसूली की स्थिति का ज़िक्र करते हुये उन्होने राज्य सरकार से वांछित सहयोग का अनुरोध किया।
- अन्य महत्वपूर्ण विषयों यथा – आरसेटी संस्थानों हेतु राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क भूमि का आवंटन, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत लम्बित सभी मार्जिन मनी खातों में कार्यवाही, बुन्देलखण्ड क्षेत्र में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी वसूली रखगन आदेश को समाप्त किया जाना, बुनकरों हेतु भारत सरकार की विशेष राहत योजना का क्रियान्वयन जिसके अन्तर्गत Weavers' Credit Card के लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति एवं जनपद स्तर पर आयोजित किये जा रहे विशेष कैम्पस का सफल आयोजन, प्रदेश के -28- पूर्वी जिलों हेतु भारत सरकार द्वारा घोषित बी.जी.आर.ई.आई. योजना का क्रियान्वयन, शिक्षा ऋण योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा आवंटित लक्ष्यों की शतप्रतिशत पूर्ति इत्यादि विषयों पर चर्चा करते हुये श्री मूदंडा ने सभी स्टेक होल्डर्स को अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु आमंत्रित किया।

अपने अध्यक्षीय संबोधन के अन्त में श्री एस. एस. मूदंडा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बैंक ऑफ बडौदा ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश में विद्यमान अच्छे माहौल में बैंक व राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से विकास प्रक्रिया को नयी दिशा व गति प्राप्त होगी।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से पधारे डा० आलोक पाण्डे, निदेशक ने निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डाला :–



- ✖ डी.बी.टी. योजना को प्रदेश के सभी –6– चयनित जनपदों में लागू करना व निर्धारित समय सारिणी के अनुसार गतिविधियों का कियान्वयन।
- ✖ शाखा विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों को विशेष महत्व प्रदान करना।
- ✖ शिक्षा ऋण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु आवंटित लक्ष्यों की शतप्रतिशत पूर्ति हेतु सघन प्रयास एवं Vocational Training Programme Scheme को बढ़ावा देना।
- ✖ आरसेटीज संस्थानों की स्थापना हेतु प्रदेश शासन द्वारा निःशुल्क भूमि आवंटन के साथ साथ बैंकों द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता, रोजगार सूजन, संकाय सदस्यों की उपलब्धता आदि पर विशेष जोर ताकि संस्थानों की ग्रेडिंग उच्च स्तर की रहे।
- ✖ ऑन लाईन क्रियेशन ऑफ चार्ज ऑन ऐग्रीकल्चरल लैन्ड।
- ✖ सभी किसान क्रेडिट कार्ड्स को ए.टी.एम. सक्षम बनाया जाना ताकि रूपे कार्ड के माध्यम से किसानों को सुविधा प्रदान की जा सके।

श्री अरुण सिंघल, आ.ई.एस., प्रमुख सचिव (संस्थागत वित्त), उत्तर प्रदेश शासन ने प्रदेश में बैंकों द्वारा ऋण जमा अनुपात में दर्ज व्यापक वृद्धि पर संतोष व्यष्टि करते हुये आहवाहन किया ऐसे –23– जनपद जिनमें ऋण जमा अनुपात अभी भी 30 प्रतिशत से कम है, में व्यापक सुधार हेतु बैंकर्स द्वारा विशेष प्रयास किये जाये। उन्होंने विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व सफलता हेतु सकारात्मक रवैया अपनाने पर बल दिया। वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के क्रियान्वयन में बैंकों द्वारा महसूस की जा रही कनेक्टिविटी की समस्या पर श्री सिंघल ने कहा कि संस्थागत वित्त निदेशालय द्वारा इस विषय पर विस्तृत अनुश्रवण संबंधित विभाग के साथ किया जा रहा है ताकि समस्या का समाधान संभव हो सके।

श्री अरुन पसरीचा, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ ने अपने संबोधन में निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुये आवश्यक कार्यवाही का आहवाहन किया :–

- दिनांक 15.01.2013 को डा० डी. सुब्बाराव, माननीय गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में सम्पन्न विशेष एस.एल.बी.सी. बैठक में मार्च 2013 तक –300– नयी शाखाओं की स्थापना का निर्देश दिया गया था जो बैंकर्स व राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से सम्पन्न किया गया है तथा सभी बधाई के पात्र हैं। इसी क्रम में मार्च 2014 तक कुल –3000– नयी शाखाओं की स्थापना हेतु जो लक्ष्य तय किया गया है उसका समयबद्ध कार्यक्रमानुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- लीड बैंक योजनान्तर्गत वार्षिक ऋण योजना 2013–14 के लक्ष्यों की रिपोर्टिंग हेतु एक नया प्रारूप तैयार किया गया है। इस प्रारूप पर लक्ष्यों की सूचना व इसके सापेक्ष त्रैमासिक प्रगति की सूचना सभी अग्रणी जिला प्रबन्धकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (FLCs) से संबंधित एक गाइड तथा विभिन्न पोस्टर तैयार किये गये हैं जिसका लाभ बैंकों को लिया जाना चाहिये।



- वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2016 तक का वार्षिक Dissaggregation Plan सभी बैंकों के बोर्ड से अनुमोदित कर लागू किया गया है जिसके अनुसार लक्ष्यों की क्रमिक उपलब्धि सुनिश्चित की जानी चाहिये। 2000 से कम आबादी वाले सभी गावों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन समय की मांग है ताकि आम जनता को इसका लाभ प्राप्त हो सके।
- डी.बी.टी. योजना का प्रभावी क्रियान्वयन व बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार।
- एम.एस.ई सेक्टर के अन्तर्गत गुणवत्ता युक्त एम.आई.एस. की आवश्यकता।
- एस.एल.बी.सी. द्वारा प्रेषित किये जाने वाले आकड़ों में समयबद्धता का पालन करने हेतु आवश्यक है कि सभी बैंक निर्धारित समय सारिणी के अनुसार इनका प्रेषण एस.एल.बी.सी. को करे ताकि एस.एल.बी.सी. आकड़ों को समेकित कर आर.बी.आई. को प्रेषित कर सके। बैंकों के स्तर पर इस कार्य हेतु एक सक्षम अधिकारी को नोडल अधिकारी चयनित किया जाना उचित होगा।
- राज्य सरकार द्वारा बैंकों को सभी सम्भव सहयोग प्रदान करना ताकि बैंकर्स निर्धारित कार्य को सुगमता से क्रियान्वयित कर सके।
- करेन्सी मैनेजमेन्ट से संबंधित बिन्दुओं पर बैंकों के स्तर से आर.बी.आई. द्वारा तय नियमों व दिशा निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाना।

श्री एन. कृष्णन, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, लखनऊ ने अपने सम्बोधन में निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला :—

- वार्षिक ऋण योजना 2012–13 के अन्तर्गत फसली ऋण वितरण की स्थिति विगत वर्ष के सापेक्ष बेहतर ही रही है यद्यपि लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति सम्भव नहीं हो पायी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उपलब्धि विगत वर्ष के सापेक्ष अपेक्षाकृत कम रही है जिसका एक मुख्य कारण गैर निष्पादक आस्तियों का उच्च स्तर है तथा वित्तीय वर्ष के दौरान इन बैंकों ने ऋण वसूली हेतु अपना ध्यान केन्द्रित करते हुये सघन प्रयास किये हैं।
- वित्तीय साक्षरता बढ़ाने एवं सभी पात्र कृषकों को रूपे कार्ड जारी करने हेतु बैंकों द्वारा प्रयास किये जाने एवं निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य पूर्ति हेतु प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।
- प्रदेश के –16– कोआपरेटिव बैंकों की वित्तीय स्थिति काफी खराब है। इन बैंकों द्वारा आच्छादित जनपदों में आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कॉर्मशियल बैंक व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को और अधिक प्रयास करने होंगे। उन्होंने वार्षिक ऋण योजना 2013–14 के अन्तर्गत प्रस्तावित लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति हेतु बैंकों का आह्वाहन किया।

इसी क्रम में वार्षिक ऋण योजना 2013–14 का विधिवत विमोचन किया गया जिसका आकार ₹96822.78 करोड़ है तथा नाबार्ड द्वारा तैयार पी.एल.पी. ₹101315.38 करोड़ का लगभग 96 प्रतिशत है एवं गत वर्ष की वार्षिक ऋण योजना के सापेक्ष 24 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

गणमान्य अतिथियों के सम्बोधन के पश्चात पावर प्लाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से विभिन्न ऐजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा हेतु स्थिति प्रस्तुत की गयी।



**कार्यसूची संख्या 1:- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 14.03.2013 को आयोजित
बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि**

विगत बैठक दिनांक 14.03.2013 का कार्यवृत्त जो सभी सदस्यों को दिनांक 30.03.2013 को प्रेषित किया गया था, की सदन द्वारा पुष्टि की गयी।

**कार्यसूची संख्या 2 :- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 14.03.2013 को
आयोजित बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट**

**(I) प्रदेश के सभी जनपदों में बैंकों द्वारा आरसेटी की स्थापना हेतु राज्य सरकार
द्वारा न्यूनतम 1 एकड़ भूमि का निःशुल्क आवंटन**

चर्चा के दौरा सदन को अवगत कराया गया कि अभी तक प्रदेश सरकार द्वारा मात्र -18- जनपदों में ही निःशुल्क भूमि के आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण हुई है। शासन द्वारा सूचित किया गया कि -47- अन्य जनपदों में आवंटन प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर ली जायेगी जिसका प्रस्ताव शासन के विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

**(II) संबंधित लीड बैंकों द्वारा सभी लीड जिलों में आरसेटी व एफएलसीसी/
एफएलसी की स्थापना व बिल्डिंग का निर्माण**

श्री एन. सी. शर्मा, स्टेट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, आरसेटीज, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि अभी प्रदेश के -5- जनपदों में संबंधित लीड बैंकों द्वारा अपनी आरसेटीज की स्थापना बाकी है जिसकी शीघ्र शुरूआत किया जाना आवश्यक है।

श्री डी. के. गर्ग, महाप्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) ने अवगत कराया कि जनपद रायबरेली में आवंटित भूमि हेतु एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया जा चुका है तथा बिल्डिंग निर्माण की कार्यवाही शीघ्र प्रारम्भ की जायेगी।

श्री सुनील मेहता, महाप्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक ने अवगत कराया कि जनपद सोनभद्र में आवंटित भूमि पहाड़ी पर स्थित है जिसपर निर्माण कार्य में अनेक बाधायें हैं। अतः राज्य सरकार द्वारा इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये। श्री के रवीन्द्र नाईक, आई.ए.एस., आयुक्त (ग्राम्य विकास) ने इस प्रकरण पर विचार करने का आश्वासन दिया।

विस्तृत चर्चा के दौरान श्री के रवीन्द्र नाईक, आई.ए.एस., आयुक्त (ग्राम्य विकास) ने कहा कि :-

- ✖ भूमि आवंटन इत्यादि से संबंधित मामलों को जनपद स्तरीय डी.सी.सी./डी.एल. आर.सी. बैठकों में उठाना चाहिये ताकि स्थानीय स्तर पर समाधान सम्भव हो सके।
- ✖ -47- अन्य जनपदों में प्रदेश सरकार द्वारा भूमि आवंटन की प्रक्रिया आगामी -15- दिनों में पूर्ण कर ली जायेगी।



- ⌘ आरसेटी संस्थानों की बैंकवार ग्रेडिंग की गयी है तथा बड़ी संख्या में संस्थान "डी ग्रेड" में है। बैंकों द्वारा तुरन्त प्रभावी कार्यवाही करते हुये 30.06.2013 तक इनमें सुधार कर "ए ग्रेड" में लाना है।
- ⌘ आरसेटीज की व्यापक समीक्षा हेतु एक उप-समिति का गठन अनिवार्य है।

उक्त बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करते हुये श्री डी. के. गर्ग, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ०प्र०) ने अवगत कराया कि प्रदेश में आरसेटीज की समीक्षा हेतु एक उप-समिति का गठन पहले ही किया जा चुका है जो एन.आर.एल.एम. की प्रगति के साथ साथ आरसेटीज की समीक्षा भी करेगी।

डा० आलोक पाण्डे, निदेशक (सी.पी. व एम.एफ.), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने बताया कि वित्त मंत्रालय द्वारा विभिन्न संस्थानों की ग्रेडिंग से बैंकों के उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुये इनमें सुधार हेतु निर्देशित किया गया है। प्रदेश शासन द्वारा भूमि आवंटन के साथ साथ बैंक द्वारा अन्य मानकों में सुधार की आवश्यकता है ताकि संस्थानों की वर्तमान ग्रेडिंग में सुधार संभव हो सके।

श्री शिव सिंह यादव, निदेशक, संस्थागत वित्त, उ.प्र. शासन ने कहा कि उप-समिति की एक विशेष बैठक शीघ्र आयोजित कर इन मुद्दों का समाधान किया जाये। श्री अजय व्यास, उप महाप्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया एवं श्री ए. के. पलित, महाप्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ने आश्वस्त किया कि उनके विभिन्न संस्थानों की ग्रेडिंग में आवश्यक सुधार 30.06.2013 तक कर लिया जायेगा।

(III) सभी पात्र परन्तु वंचित किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाना एवं आंकड़ों का मिलान

सदन को अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान कुल 51.64 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं जिसमें से नवीनीकरण की कार्यवाही 33.31 लाख मामलों में व नये कार्ड जारी करने की कार्यवाही 18.33 लाख मामलों में की गयी है। साथ ही प्रदेश के –10– जनपदों को संतुष्ट घोषित किया जा चुका है तथा सभी पात्र मामलों में रूपे कार्ड 30.06.2013 तक जारी करने की कार्यवाही बैंकों द्वारा शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है।

श्री अवधेश कुमार, उप महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने कहा कि कोआपरेटिव बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के निर्देश अपेक्षित हैं।

श्री के रवीन्द्र नाईक, आई.ए.एस., आयुक्त (ग्राम्य विकास) ने अपेक्षा की कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की जनपदवार प्रगति एस.एल.बी.सी. बैठकों में प्रस्तुत की जाये तथा जनपद स्तरीय डी.सी.सी./डी.एल.आर.सी. बैठकों में इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिये। उन्होंने प्राइवेट बैंकों को भी योजनान्तर्गत लक्ष्य आवंटित किये जाने हेतु कहा।

श्री डी. के. गर्ग, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ०प्र०) ने बताया कि निरन्तर अनुरोध के बावजूद कृषि निदेशालय, उ.प्र. द्वारा जनपदवार प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। बैंकों से प्राप्त फीडबैक के अनुसार जनपदों में योजनान्तर्गत लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या लगभग नगण्य है।



जबकि कृषि विभाग द्वारा बड़ी संख्या में आवेदन पत्र लम्बित होने से अवगत कराया जाता है।

(IV) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुर्णपूंजीकरण

चर्चा के दौरान श्री शिव सिंह यादव, निदेशक, संस्थागत वित्त, उ.प्र. शासन ने अवगत कराया कि इस प्रकरण पर निर्णय लिया जा चुका है तथा संबंधित बड़ौदा यू.पी. ग्रामीण बैंक, रायबरेली को आवंटित धनराशि का भुगतान शीघ्र ही कर दिया जायेगा।

(V) बैंक देयों की वसूली

चर्चा के दौरान श्री एन. कृष्णन, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने कहा कि विगत बैठक में लिये गये निर्णयानुसार राज्य सरकार द्वारा बैंकों को जनपद स्तरीय मासिक वसूली को बैंकों में सहभागिता हेतु आमंत्रित करने के निर्देश जारी किये गये हैं जो एक सराहनीय निर्णय है।

(VI) केंद्रिट प्लस गतिविधियों को प्रचारित/प्रसारित करना

इस बिन्दु पर सदन को अवगत कराया गया कि बैंकों द्वारा आरसेटीज, एफ.एल.सी.सी. /ए.एल.सी. व किसान कल्ब इत्यादि के माध्यम सक केंद्रिट प्लस सेवाये उपलब्ध करायी जा रही है जिसका लाभ आम जनता को प्राप्त हो रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार एफ.एल.सी.सी. योजना का साहित्य व रूपरेखा सभी बैंकों को उपलब्ध कराया जा चुका है साथ ही एस.एल.बी.सी. की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है।

(VII) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत लम्बित मार्जिन मनी दावों का निस्तारण

सदन का अवगत कराया गया कि एस.एल.बी.सी. की गत बैठक दिनांक 14.03.2013 के निर्णयानुसार विगत 22.03.2013 को अपर निदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गयी थी जिसमें तीनों कार्यदायी संस्थाओं, एस.एल.बी.सी. संयोजक एवं विभिन्न बैंकों द्वारा सहभागिता कर सभी लम्बित मामलों में अविलम्ब निस्तारण करने का निर्णय लिया गया है।

इसी क्रम में विभिन्न सदस्यों ने निम्नानुसार चर्चा की :—

श्री के रवीन्द्र नाईक, आई.ए.एस., आयुक्त (ग्राम्य विकास) ने अग्रणी बैंक कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण की ओर इंगित करते हुये कहा कि जनपद स्तर पर विभिन्न मानकों में बैंकों की कार्यप्रणाली पर भारतीय रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड द्वारा सघन समीक्षा की आवश्यकता है एवं जहां कहीं भी बैंकों द्वारा शिथिलता परिलक्षित हो वहां भारतीय रिजर्व बैंक व नाबार्ड द्वारा सख्त कार्यवाही हो। श्री अरुण सिंघल, आई.ए.एस, प्रमुख सचिव (संस्थागत वित्त) ने मामले की गंभीरता पर प्रतिक्रिया स्वरूप कहा कि आयुक्त, ग्राम्य विकास इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक/ नाबार्ड के साथ बैठक



आयोजित कर सकते हैं जिसमें स्पष्ट जानकारी के आधार पर बिन्दुवार/बैंकवार /जनपदवार समीक्षा की जाये और तभी इस प्रकार के मुद्दे पर चर्चा सार्थक होगी।

(VIII) 3000 नयी शाखाओं की स्थापना एवं ऋण जमा अनुपात में मार्च 2013 के स्तर पर 3 प्रतिशत प्वाइंट्स की वृद्धि

इन दोनों ही मानकों में बैंकवार अद्यतन स्थिति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसके अनुसार विगत 29.03.2013 को लखनऊ में आयोजित 300 नयी शाखाओं के उदघाटन समारोह व चयनित जनपदों में ऋण जमा अनुपात में निरन्तर दर्ज की जा रही वृद्धि का उल्लेख करते हुये विश्वास व्यक्त किया गया कि बैंकों, राज्य सरकार एवं सभी स्टेक होल्डर्स के संयुक्त प्रयासों से सभी लक्ष्य पूर्ण कर लिये जायेंगे।

कार्यसूची संख्या 3 :— वित्तीय समावेशन प्लान के अन्तर्गत प्रगति

वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत 2000 से अधिक व 2000 से कम आबादी वाले सभी गावों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार की विस्तृत स्थिति से सदन को अवगत कराया गया।

डी.बी.टी. योजनान्तर्गत प्रदेश के चयनित –6— जनपदों यथा इटावा (सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया), चित्रकूट व श्रावस्ती (इलाहाबाद बैंक), संत कबीर नगर (स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया) एवं रायबरेली व अमेठी (बैंक ऑफ बड़ौदा) में निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की जनपदवार समीक्षा डा० आलोक पाण्डे, निदेशक (सी.पी. व एम.एफ.), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गयी। इस समीक्षा में निम्न बिन्दु उभरकर सामने आये :—

- विभिन्न योजनाओं की लाभ्यार्थीवार सूची संबंधित विभाग द्वारा अग्रणी जिला प्रबंधक को उपलब्ध कराने में समस्या आ रही है।
- बैंकों द्वारा अपनी सभी शाखाओं में ए.टी.एम. की स्थापना हेतु सघन प्रयास जारी है फिर भी आवश्यक है कि निर्धारित तिथि 30.06.2013 तक सभी बैंक इस कार्य को पूर्ण कर ले।
- जनपदों में प्रीमेट्रिक स्कॉलरशिप योजनान्तर्गत केवल कक्षा 9 व 10 के छात्रों को ही शामिल किया जाना है।
- श्री डी. के. गर्ग, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ०प्र०) ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा अपनी सभी शाखाओं में ए.टी.एम. की स्थापना हेतु CAPEX Model का चयन किया गया है। यह कार्य सुचारू रूप से लागू करते हुये बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा अपने –2— चयनित जनपदों (रायबरेली व अमेठी) में इसे निर्धारित समय सीमा दिनांक 30.06.2013 से पहले ही पूर्ण कर लेगा।

डा० आलोक पाण्डे, निदेशक (सी.पी. व एम.एफ.), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में आधार कार्ड का कवरेज अभी न्यून स्तर पर है तथा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इण्डिया को यह कार्य प्रदेश में पूर्ण करने हेतु चयनित किया गया है।



कार्यसूची संख्या 4 :- हथकरघा क्षेत्र के लिए पुनरुद्धार, सुधार और पुनर्गठन पैकेज एवं बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन

योजनान्तर्गत अद्यतन प्रगति से सदन को अवगत कराया गया। यह भी बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु योजनान्तर्गत 25000 कार्ड्स जारी करने का लक्ष्य तय किया गया है जिसका वितरण सभी बैंकों को किया जा चुका है। इसी कम में नोडल ऐजेन्सी द्वारा कुछ क्लस्टर भी चयनित किये गये हैं जिनमें विशेष ऋण शिविर आयोजित करने का कार्यक्रम तय कर सभी संबंधित को सूचित कर दिया गया है।

श्री डी. के. गर्ग, महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने सभी बैंकों से योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के त्वरित निस्तारण एवं लक्ष्यों की शतप्रतिशत पूर्ति हेतु अनुरोध किया।

कार्यसूची संख्या 5 :- वार्षिक ऋण योजना 2012–13 के अन्तर्गत प्रगति समीक्षा

वार्षिक ऋण योजना 2012–13 के अन्तर्गत मार्च 2013 तक बैंकों द्वारा दर्ज की गयी कुल प्रगति 87.89 प्रतिशत रही जो विगत वर्ष की समान अवधि की उपलब्धि (90.45 प्रतिशत) की तुलना में कम रही है। सेक्टरवार कृषि, लघु उद्यम एवं सेवाओं के अन्तर्गत दर्ज प्रगति क्रमशः 86.12, 120.10 व 67.71 प्रतिशत रही।

चर्चा के दौरान यह बात सामने आयी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व सहकारी क्षेत्र के बैंकों का योगदान क्रमशः 74.91% एवं 56.51% रहा है जिसमें सुधार की आवश्यकता है ताकि उनके योगदान से प्रदेश का कुल उपलब्धि प्रतिशत बढ़ाया जा सके। सदन द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में अच्छे मानसून की सभावनाओं के दृष्टिगत शत प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति हेतु समग्र प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

डा० आलोक पाण्डे, निदेशक (सी.पी. व एम.एफ.), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने कुछ ऐसे बैंक जिनकी उपलब्धि प्रदेश स्तरीय औसत प्रगति से कम रही हैं, से इसके कारण जानने चाहे। महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक व अन्य ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान माह सितम्बर 2013 तक सभी आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।

कार्यसूची संख्या 6 :- ऋण – जमा अनुपात

श्री डी. के. गर्ग, महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक एसएलबीसी ने मार्च 2013 तक बैंकों द्वारा ऋण जमा अनुपात में दर्ज व्यापक वृद्धि पर बधाई दी और विश्वास व्यक्त किया कि इसी प्रकार बेहतर कार्य द्वारा भविष्य में हम निर्धारित मानक 60.00 प्रतिशत के लक्ष्य को भी पार कर जायेगे। उन्होने बताया कि प्रदेश में ऋण जमा अनुपात की विस्तृत समीक्षा हेतु एक उप-समिति का गठन यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के संयोजन में किया है। श्री गर्ग ने सभी बैंकों से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार डाटा रिपोर्टिंग का अनुरोध दोहराया जिसके अन्तर्गत प्रदेश में कार्यरत ऐसी इकाईयां जिनका ऋण स्वीकृत एवं वितरित किसी दूसरे प्रदेश के बैंक द्वारा किया गया है का विवरण अपने प्रदेश की उपलब्धि में सम्मिलित किया जाना चाहिये।



उन्होंने यह भी बताया कि गर्वनर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गत 15.01.2013 को प्रदेश में आहुत विशेष एस.एल.बी.सी. बैठक के निर्णयानुसार चयनित -12- जनपदों में ऋण जमा अनुपात की स्थिति में कमिक सुधार हो रहा है तथा ऋण जमा अनुपात में वृद्धि परिलक्षित हो रही है।

श्री शिव सिंह यादव, निदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन ने विश्वास व्यक्त किया कि मार्च 2014 तक खोले जाने वाली 3000 शाखाओं के नेटवर्क द्वारा भी प्रदेश के ऋण जमा अनुपात में वृद्धि अवश्यसम्भावी है।

कार्यसूची संख्या 7 :- प्रदेश के -28- पूर्वी जनपदों में भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही हरित क्रांति योजना के अन्तर्गत कृषि ऋण प्रवाह की समीक्षा

सदन को अवगत कराया गया कि भारत सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना के क्रियान्वयन से संबंधित यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के समन्वयन में एक उप-समिति गठित है जिसकी नियमित बैठकों में योजना की प्रगति समीक्षा की जा रही है। उप-समिति की अभी तक -4- बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

कार्यसूची संख्या 8 :- किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत सभी पात्र परन्तु वंचित किसानों को आच्छादित किया जाना

योजनान्तर्गत प्रगति रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी। श्री डी. के. गर्ग, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक एसएलबीसी ने अवगत कराया कि कृषि विभाग द्वारा समय समय पर काफी बड़ी संख्या में ऋण आवेदन पत्र लम्बित होने से अवगत कराया जाता है जबकि बैंकों से प्राप्त जानकारी तथा उपलब्ध सूचना के अनुसार के.सी.सी. के लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या नगण्य है। बार बार अनुरोध करने के बावजूद कृषि विभाग द्वारा जनपदवार सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा रही जिसके कारण आंकड़ों का मिलान एवं सही प्रगति रिपोर्ट बाधित हो रही है। उन्होंने कृषि विभाग द्वारा जनपदवार सूचना प्रेषण हेतु अनुरोध दोहराया।

श्री अरुण सिंघल, प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त, उ.प्र. शासन ने अपेक्षा की कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की विस्तृत प्रगति समीक्षा जनपद स्तरीय डी.सी.सी./ डी.एल.आर.सी. बैठकों में नियमित रूप से की जानी चाहिये तथा केवल अति महत्वपूर्ण बिन्दु/मुद्दे ही एस.एल.बी.सी. के स्तर पर समीक्षा हेतु प्रस्तुत किये जाये। उन्होंने आंकड़ों की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया।

कार्यसूची संख्या 9 :- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को अग्रिम

प्रदेश में कार्यरत बैंकों की मार्च 2013 तक की प्रगति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

श्री सर्वेश्वर शुक्ला, डिप्टी डायरेक्टर, उद्योग निदेशालय, कानपुर ने उ.प्र. जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 143 को भू उपयोग परिवर्तन की अनुमति के रूप में प्रयोग किये जाने संबंधी शासनादेश का बैंकों द्वारा पालन न किये जाने की चर्चा की। श्री डी. के. गर्ग, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक,



राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0प्र0) एवं श्री बी. जी. मिश्रा, मुख्य महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ इण्डिया ने इस प्रकरण पर माननीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों व विधिक राय की जानकारी दी।

श्री डी. के. गर्ग ने सी.जी.टी.एम.एस.ई. योजनान्तर्गत बैंकों को सभी पात्र मामलों में कवरेज प्रदान करने का आव्हाहन किया ताकि अपना प्रदेश जो अभी योजनान्तर्गत भारतवर्ष में प्रथम स्थान पर है, और बेहतर स्थिति प्रस्तुत कर सके।

कार्यसूची संख्या 10 :- साहूकारी ऋण मुक्ति योजना एवं संयुक्त देयता समूह

साहूकारी ऋण मुक्ति योजना एवं संयुक्त देयता समूह योजनाओं के अन्तर्गत आद्यतन स्थिति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

कार्यसूची संख्या 11:- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, वसूली प्रमाण पत्र निर्गत खाते, सरकार द्वारा प्रायोजित योजनान्तर्गत व गैर निष्पादक आस्तियों के अन्तर्गत ऋण वसूली की स्थिति

कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत ऋण वसूली की स्थिति प्रस्तुत की गयी। चर्चा के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा बैंक ऋण वसूली हेतु किये जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुये और अधिक सहयोग का अनुरोध दोहराया। अध्यक्ष, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा अनुरोध किया गया कि चूंकि ग्रामीण बैंकों में अधिकांश मामले ₹1.00 लाख तक की ऋण वसूली के होते हैं और उनमें वसूली प्रमाण पत्रों द्वारा वसूली प्रक्रिया लागू की जाती है। अतः इन मामलों में वसूली प्रमाण पत्र वापस न किये जाने व प्रभावी वसूली हेतु राजस्व विभाग को पुनः निर्देशित किया जाना चाहिये। श्री राकेश कृष्णा, अपर निदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय ने स्पष्ट किया कि तत्संबंधी निर्देश दोहराये जा चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सरफेसी एक्ट के अन्तर्गत वसूली प्रक्रिया हेतु माननीय मुख्य सचिव उ.प्र. शासन द्वारा सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश पुनः निर्गत किये गये हैं तथा बैंकों को भी तदनुसार अवगत कराया गया है।

श्री अरुण सिंघल, आई.ए.एस, प्रमुख सचिव (संस्थागत वित्त), उ.प्र. शासन ने संस्थागत वित्त निदेशालय से अपेक्षा की कि जनपदवार रूपये 1.00 लाख तक के सभी वसूली प्रमाण पत्रों की सूची उन्हे उपलब्ध करायी जाये ताकि जिलाधिकारियों की समीक्षा बैठक में इस प्रकरण पर चर्चा की जा सके।

कोआपरेटिव बैंकों के उच्च स्तर पर गैर निष्पादित आस्तियों के विषय पर डा० आलोक पाण्डे, निदेशक (सी.पी. व एम.एफ.), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उठये गये प्रश्न पर श्री राकेश कृष्णा, अपर निदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा कोआपरेटिव बैंकों का पुर्नजीवीकरण न किये जा सकने के कारण इन बैंकों द्वारा राईट आफ़ आदि नहीं किये जा सके हैं तथा उनके गैर निष्पादित आस्तियों का स्तर अधिक है।

कार्यसूची संख्या 12 :- अल्पसंख्यक समुदायों को वित्तीय सहायता

प्रदेश में कार्यरत बैंकों की मार्च 2013 तक की प्रगति समीक्षा प्रस्तुत की गयी। साथ ही चयनित –21– जनपदों की विस्तृत सूचना प्रेषण हेतु बैंकों से अनुरोध किया गया।



कार्यसूची संख्या 13 :— स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.)

प्रदेश में कार्यरत सभी बैंकों की आलोच्य अवधि एवं योजना के प्रारम्भ से अद्यतन प्रगति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

सदन को अवगत कराया गया कि ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के क्रम में सभी स्वयं सहायता समूहों का डाटा बेस तैयार करने हेतु एक फार्मेट तैयार कर बैंकों से जानकारी एकत्र करने की कार्यवाही की जा रही है। इस कार्य को शीघ्रता से पूर्ण किये जाने की आवश्यकता है।

श्री के. आर. कनोजिया, सहायक महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अवगत कराया कि प्रदेश में एन.आर.एल.एम. योजना के क्रियान्वयन व समीक्षा हेतु बैंक ऑफ बड़ौदा के समन्वयन में एक सब-कमेटी गठित है जिसके द्वारा स्वयं सहायता समूहों की भी समीक्षा की जा रही है।

कार्यसूची संख्या 14 :— विभिन्न गरीबी उन्मूलन व स्वरोजगारपरक कार्यक्रमों की प्रगति समीक्षा

(क) स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY):

प्रदेश में कार्यरत बैंकों की वित्तीय वर्ष 2012–13 की प्रगति पर सदन द्वारा समीक्षा की गयी जिसके अन्तर्गत समूहों व व्यक्तिगत स्वरोजगारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने से अवगत कराया गया।

(ख) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (SJSRY):

इस योजनान्तर्गत प्रदेश में कार्यरत बैंकों की वित्तीय वर्ष 2012–13 की प्रगति पर सदन द्वारा समीक्षा की गयी।

(ग) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP):

इस योजनान्तर्गत प्रदेश में कार्यरत बैंकों की वित्तीय वर्ष 2012–13 की प्रगति पर सदन द्वारा समीक्षा की गयी।

चर्चा के दौरान यह भी बताया गया कि जिला उद्योग केन्द्रों से संबंधित लम्बित मार्जिन मनी दावों की संख्या व धनराशि काफी अधिक है तथा बैंकों द्वारा लम्बित मार्जिन मनी दावों के निस्तारण का कार्य शीघ्र पूरा कर लिया जाये।

(घ) सघन मिनी डेयरी परियोजना (SMDP):

इस योजनान्तर्गत अद्यतन प्रगति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी तथा बैंकों द्वारा प्रदान किये जा रहे सहयोग की सराहना की गयी।



(च) विशेष समन्वित योजना

प्रदेश में कार्यरत बैंकों की योजनान्तर्गत प्रगति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी। समीक्षा के दौरान श्री पी. सी. सिंह, महाप्रबंधक, उ. प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने अवगत कराया कि बैंकों में काफी संख्या में ऋण आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं जिनका शीघ्र निस्तारण बैंकों के सहयोग से किया जाना अपेक्षित है। उन्होंने बैंकों द्वारा 47000— आवेदन पत्रों को लम्बित रखने व उन पर कोई निर्णय न लिये जाने की स्थिति की चिन्ताजनक व नियमों के विरुद्ध बताते हुये इन पर अविलम्ब कार्यवाही की अपेक्षा की।

श्री डी. के. गर्ग, महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0प्र0) ने अवगत कराया कि संबंधित विभाग से प्राप्त बैंकवार मासिक प्रगति रिपोर्ट सभी बैंकों को प्रेषित की जाती है ताकि बैंकों के स्तर से वांछित कार्यवाही सम्भव हो सके। उन्होंने इस प्रकरण पर LDMs की समीक्षा बैठक में विस्तृत रूप से चर्चा का आश्वासन भी दिया एवं विभाग की उपस्थिति हेतु सादर अनुरोध किया।

डा० आलोक पाण्डे, निदेशक (सी.पी. व एम.एफ.), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के पालन हेतु निर्देशित किया।

कार्यसूची संख्या 15 :— भारत सरकार की नवीन योजनायें

भारत सरकार द्वारा कियान्वयित नवीन योजनाओं यथा एग्रीक्लीनिक/एग्रीबिजनेस केन्द्र, ग्रामीण भंडारण हेतु कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी योजना, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा संचालित योजना की अद्यतन प्रगति से सदन को अवगत कराया गया।

कार्यसूची संख्या 16 :— शिक्षा ऋण

ऐजेण्डा बिन्दु पर चर्चा की शुरुआत करते हुये डा० आलोक पाण्डे, निदेशक (सी.पी. व एम.एफ.), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु शिक्षा ऋण योजना के लक्ष्यों का प्रदेशवार आवंटन किया जा चुका है और बैंकों द्वारा शत प्रतिशत लक्ष्यों की पूर्ति अपेक्षित है। डा० पाण्डे ने यह भी अवगत कराया कि Vocational Loan Scheme के अन्तर्गत टारगेट ग्रुप में लाभ्यार्थियों को ऋण सुविधायें प्रदान करने हेतु बैंक व राज्य सरकार द्वारा कार्ययोजना तैयार कर इसका कियान्वयन किया जाना आवश्यक है। उन्होंने शिक्षा ऋण योजना के बेहतर प्रचार-प्रसार व मार्केटिंग की आवश्यकता पर बल दिया।

श्री राकेश कृष्णा, अपर निदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, उ. प्र. ने मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित योजनान्तर्गत प्रदेश में अनुदान प्राप्त मामलों की जानकारी चाही। केनरा बैंक द्वारा यह सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

कार्यसूची संख्या 17 :— बैंकों से सम्बन्धित आपराधिक मामले

सदन को अवगत कराया गया कि विगत अवधि में केवल एक घटना घटित हुई जिसकी पुलिस विभाग से विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हुई है जो सदन के पटल पर प्रस्तुत की गयी है।



- सदन को अवगत कराया गया कि अध्यक्ष, श्रेयस ग्रामीण बैंक (तत्कालीन) ने पत्रांक SGB/HO/PMS/Gallantry/1/2013 दिनांक 15.03.2013 जो जिलाधिकारी, आगरा व आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा को संबोधित एवं अन्य संबंधित को संबोधित है, के द्वारा बैंक के दो कर्मचारियों को मरणोपरान्त सर्वोच्च वीरता सम्मान प्रदान करने की संस्तुति की गयी है।

सदन द्वारा संज्ञान लेते हुये शासन द्वारा बैंक के दोनों कर्मचारियों को मरणोपरान्त सर्वोच्च वीरता सम्मान प्रदान किये जाने की संस्तुति किये जाने हेतु कहा गया।

कार्यसूची संख्या 18 :- अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से

निम्न –3– बिन्दु सदन के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये गये :–

1. पूर्वांचल ग्रामीण बैंक एवं बलिया इटावा ग्रामीण बैंक का समामेलन

महाप्रबंधक, पूर्वांचल ग्रामीण बैंक (पूर्वांचल ग्रामीण बैंक एवं बलिया इटावा ग्रामीण बैंक का समामेलित) ने अपने पत्रांक 2013–14/योजना/10 दिनांक 03.04.2013 द्वारा अवगत कराया है कि भारत सरकार के असाधारण राजपत्र के पैरा-II, सेक्षण 3, सब सेक्षण (II) द्वारा दिनांक 01.04.2013 को अधिसूचना प्रकाशित कर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 (1976 का 21वां) की धारा 23ए की उपधारा (1) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 01.04.2013 के प्रभाव से पूर्वांचल ग्रामीण बैंक एवं बलिया इटावा ग्रामीण बैंक का समामेलन (Amalgamation) कर दिया है।

समामेलित (Amalgamated) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम पूर्वांचल बैंक हो गया है तथा इसका प्रधान कार्यालय गोरखपुर में जिसका प्रायोजक बैंक भारतीय स्टेट बैंक है।

पूर्वांचल बैंक अधिसूचना की तिथि से ही अस्तित्व में आ गया है तथा इसका कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश के –11– जनपदों औरैया, बलिया, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, मऊ, संत कबीरनगर एवं सिद्धार्थ नगर रहेगा।

2. आर्यावर्त ग्रामीण बैंक एवं श्रेयस ग्रामीण बैंक का समामेलन

इसी क्रम में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. F.No.7/9/2011-RRB(UP-1) दिनांक 01.04.2013 द्वारा प्रदेश में कार्यरत आर्यावर्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं श्रेयस ग्रामीण बैंक के समामेलन की सूचना से अवगत कराया है। इस प्रकार समामेलित (Amalgamated) बैंक ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त के नाम से जाना जायेगा जिसका मुख्यालय लखनऊ रहेगा तथा प्रायोजक बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया है।

3. भारत सरकार द्वारा कियान्वयित राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम योजना से अवगत कराते हुये प्रदेश के चयनित जनपदों में इसके कियान्वयन हेतु बैंकों से अनुरोध किया गया।

बैठक के अन्त में श्री एस. के. चौधरी, महाप्रबन्धक, केनरा बैंक ने बैठक में पधारे सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

* * * * *



राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 23.05.2013 को आयोजित बैठक की कार्यबिन्दु

SN	Issue	Status	Latest Position	Required Action
1.	Allotment of minimum 1 Acre of land free of cost by the State Govt. to the Banks for setting up of R-SETIs in all Districts of the State.	Govt. of India guidelines suggests for allotment of land to the Banks by the State Govt. free of cost for setting up of R-SETIs.	All Banks in the State have so far established -75- RSETIs in the rental buildings. The State Govt. has approved allotment of land in respect of - 18- Districts. During the Meeting itself it was informed about the allotment of land in respect of another -47- Districts for which formalities are in advanced stage of completion.	Owing to the importance of the issue and also the Banks' commitment towards this Social cause, the State Govt. is requested to speed up the process of land allotment in all the Districts to enable Banks to start construction of the RSETI buildings etc. It is all the more important because the Grant-in-aid of ₹1.00 crore admissible from Govt. of India is released to the Banks (Action : Commissioner, Rural Development, GoUP)
2.	Kisan Credit Card Scheme – Issuance of KCC to all eligible but left out farmers thereby saturating all the Districts in the State and reconciliation of data.	A joint campaign is launched in the State by Banks and the State Government since October 2010 and the success thereof has been adopted as a Model by GoI for replication in other States across the Country.	As per SLBC data, 18.33 Lacs new KCCs and 33.31 Lacs renewed KCCs are put in place by the Banking System during the fiscal. It was informed that large number of KCC applications are pending in different Districts and needs immediate disposal. Further, it was also emphasized that all eligible farmers in the State must be provided with the KCC so that our State may be declared as fully saturated. It would also facilitate bringing all eligible farmers under the institutional credit system. The District wise information related to reconciliation of data from the Agricultural Directorate, UP is still awaited. However, Banks are constantly in the process of issuing KCC to all eligible farmers as is evident from the above data.	Banks and the State Agriculture Department are required to reconcile the District-wise data and review the progress during DCC/DLRC Meetings regularly. The complete details should be made available to SLBC for further necessary action and efforts should be made to issue KCC to all farmers. As per extant GoI guidelines all KCC are to be issued by Banks in the form of Rupay Card by 30.06.2013. (Action : Banks & the State Agriculture Directorate)
3.	Opening of -3000- new B&M Bank Branches by March 2014 & improving the CD Ratio by 3% points over March 2013 level	As per decision of the Special SLBC Meeting Dated 15.01.2013, the Banks have to setup new Bank branches and ensure improvement in CD Ratio as per stipulated levels.	Banks have designed the roadmap for opening of -3000- new B&M Bank Branches by March 2014 & improving the CD Ratio by 3% points over March 2013 level. It is to inform that in a grand function organized at Lucknow on 29.03.2013, 300 new B&M Branches were opened at the hands of Hon'ble Union Finance Minister & Hon'ble Chief Minister, UP. A roadmap for 3000 new branches proposed to be opened by March 2014 was also launched during the function. Banks are in the process of opening these branches in a phased manner.	The Banks are required to follow up the set deadline to achieve the set goals. Since the State Govt. has assured of all support and cooperation in this joint endeavour, Banks must obtain all necessary support from the District /State authorities. It is also desired that the monthly and quarterly progress is advised to the DIF, UP and SLBC on regular basis because it is one of the important Agenda points of the Monthly Meetings by the Chief Secretary, GoUP. (Action : Banks & State Government)



4.	Implementation of Direct Benefit Transfer (DBT) Scheme in -6- identified Districts of State.	<p>-6- Districts of the State viz. Amethi & Raebareli (BOB), Etawah (CBI), Chitrakoot & Shravasti (AB) and St. Kabir Nagar(SBI) have been identified for implementation of DBT Scheme w.e.f. 01.07.2013. The GoI guidelines in this regard have been issued with details about implementation of various activities in a phased manner.</p>	<p>Regular review is being done by Banks & SLBC and also at Govt. of India level. Various steps required to be implemented are being attended to by concerned agencies with certain constraints which are overcome on regular basis.</p>	<p>Banks and the State Govt are required to implement the DBT Scheme in latter & spirit as success of the Scheme would pave way for its future coverage.</p> <p>(Action : All Banks & State Govt)</p>
5.	Recovery of Bank dues	<p>The recovery of Bank dues under various poverty alleviation programmes is poor in the State as compared to the other States. Further, the NPA Level of the Banks is also showing marked increase on continuous basis inspite of vigorous efforts made by the Banks.</p>	<p>During the meeting it was informed that strict instructions for recovery of Bank dues under all RC filed accounts and also under SARFESAI Act 2002 have been reiterated by the State Government.</p> <p>Banks should attend the Recovery Meetings in Districts and also at the level of Board of Revenue at Lucknow. Still however, Chairman of RRBs raised the issue of returning of RCs amounting upto ₹ 1.00 Lac, which is the major chunk of their NPAs and requested for the State Govt. support. Principal Secretary, Institutional Finance instructed that the Directorate should provide the list of Districtwise RCs for its review during the Monthly Meeting with DMs.</p>	<p>Banks should ensure reiteration of the instructions as received from DIF to its branches /offices. Banks should also ensure participation in the Recovery Meetings at District & State Level to discuss & review their chronic cases.</p> <p>As desired, the District wise list of RCs be provided to Principal Secretary, Institutional Finance with a copy to SLBC for its regular review through the forum of SLBC also.</p> <p>(Action : All Banks & DIF, GoUP)</p>



ANNEXURE

Meeting of SLBC (U.P.) held on 23.05.2013

PARTICIPATION SHEET

Sr. No.	Organization	Designated Member	Status of Participation	Participating Authority & Contact Details		
				Designation	Name	Contact No.
1	Bank of Baroda, Corporate Office, Mumbai	Chairman & Managing Director / Executive Director	Yes	Chairman & Managing Director	Shri S S Mundra	022-66985911
2	Bank of Baroda, EUP Zone, Lucknow	General Manager	Yes	General Manager	Shri D.K. Garg	0522-6677607
3				General Manager, WUPZ	Shri. L.M. Asthana	9568042211
4				General Manager, IT & Projects	Shri K Koteshwaram	9920404061
5	Reserve Bank of India, Lucknow	Regional Director	Yes	Regional Director	Shri Arun Pastrica	9415015471
6				Dy. General Manager	Shri S K Verma	8004921328
7				Asstt. Gen. Manager	Shri D.C. Soni	8004921329
8				Manager	Smt. Aparna Bhatt Dwivedi	7376343433
9	NABARD, R.O., Lucknow	Chief Gen. Manager	Yes	Chief Gen. Manager	Shri Shri N Krishnan	
10				Dy. General Manager	Shri Awdhesh Kumar	9506018285
11				Asstt. General Manager	Shri S Das	9415040564
12	SIDBI, Lucknow	State In-charge/ Dy. Managing Director	No	Dy. General Manager	Shri H. R. Asthana	9919001861
13	State Bank of India, Lucknow	Chief Gen. Manager	No	General Manager	Shri A. K. Palit	8005488744
14		Gen. Manager	Yes	Dy. General Manager	Shri V.S. Negi	8005493150
15				Chief Manager (RRB& Lead Bank)	Shri R. K. Srivastava	8005491073
16				Asstt. General Manager (RRB& Lead Bank)	Shri B.N. Tandon	7408433889
17	Punjab National Bank, Lucknow	Gen. Manager/ State Head	No	Asstt. General Manager	Shri M.C. Madan	8173000101
18	Allahabad Bank, Lucknow	Gen. Manager/ State Head	Yes	General Manager	Shri Sunil Mehta	9794606969
19				Senior Manager	P.R. Maurya	9450754141
20	Union Bank of India, Lucknow	Gen. Manager/ State Head	Yes	General Manager	B.P. Dimri	9839034457
21				Chief Manager	Shri Rajashri Baglari	9918702112
22				Senior Manager	Shri Moti Lal	9918702102
23	Canara Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Dy. General Manager	Shri S. K. Chaudhary	9936406606
24				Divisional Manager	Shri Amar Nath Mondal	9565678880
25	Syndicate Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Regional Manager	Shri P. S. Tuteja	9415550118
26				Senior Manager	Shri K. M Saxena	9415004955
27	Bank of India, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	No	Chief Manager	Shri B.G. Mishra	9235694335
28				Senior Manager	Shri Laksharam	9415520818



ANNEXURE

Meeting of SLBC (U.P.) held on 23.05.2013

PARTICIPATION SHEET

Sr. No.	Organization	Designated Member	Status of Participation		Participating Authority & Contact Details	
			Participation	Designation	Name	Contact No.
29	Central Bank of India, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Zonal Manager	Shri Ajay Vyas	0918002199
30	Andhra Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Asstt. General Manager	Shri R.N. Gupta	9450695040
31	Bank of Maharashtra, Lucknow	Asstt. Gen. Manager/ State Head	No	Dy. General Manager	Shri Vinay Verma	9793205559
32	Corporation Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	No	Chief Manager	Shri K. L. Narang	8416963063
33	Dena Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Chief Manager	Shri G G Agrawal	9336631333
34	Indian Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Dy. General Manager	Shri Dhananjay Kumar	9838851999
35	Indian Overseas Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Manager	Shri Animesh Kulshrestha	98859321415
36	Indian Overseas Bank, Lucknow	Chief Regional Manager/State Head	No	Dy. Gen. Manager/ State Head	Shri. A. K. Bajpai	98359016070
37	Oriental Bank of Commerce, Lko.	Dy. General Manager/ State Head	Yes	Manager	Dr A P Singh	9415348771
38	Punjab & Sind Bank, Lucknow	Senior Branch Manager	No	Asstt. General Manager	Shri. Bhuvan Chandra	9415329459
39	State Bank of B & J, New Delhi	Dy. Gen. Manager		Chief Manager	Shri G D Solanki	7800334695
40	State Bank of Hyderabad, New Delhi	Dy. Gen. Manager		Senior Manager	Shri Anand Anal	8960626722
41	State Bank of Mysore, Lucknow	Senior Branch Manager	No	Dy. General Manager	Shri Mohan Prasad	8853099001
42	State Bank of Patiala, Lucknow	Zonal Manager/ State Head	Yes	Dy. General Manager	Shri G. S. Narang	98339066415
43	State Bank of Travancore, Lucknow	Dy. Gen. Manager	No	Branch Manager	Anurag Rastogi	9415552782
44	UCO Bank, Lucknow	Chief Manager	No	Asstt. General Manager	Shri Ajay Kumar	9910012040
45	Vijaya Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager	No	Branch Manager	Vipin Singh	9005161315
46	State Bank of Patiala, Lucknow	Dy. General Manager	Yes	Dy. General Manager	Shri P. K. Roy	9695686699
47	State Bank of Travancore, Lucknow	Chief Manager	No	Manager	Shri S. S. Bhallavee	984640033
48	United Bank of India, Lucknow	Dy. Gen. Manager	No	Asstt General Manager	Shri D Roy	7415035755
49	Gramin Bank of Aryavart	Chief Regional Manager	Yes	Sr. Manager	Saurabh Singh	9198321786
50	Allahabad U.P. Gramin Bank	Chairman		Chief Regional Manager	Shri Vinod Babbar	9935011116
51	Gramin Bank of Aryavart	Chairman		Chief Manager	Shri Ashok Kr. Singh	8960148034
52	Gramin Bank of Aryavart	Chairman		Dy. General Manager	Shri A.K. Das	9935057850
53	Gramin Bank of Aryavart	Chairman		Senior Manager	Shri S Murmu	9532110797
54	Gramin Bank of Aryavart	Chairman	Yes	Chairman	Shri S Gaur	9415113553
55	Gramin Bank of Aryavart	Chairman	Yes	Chairman	Shri J. S Ravi Kumar	7388899777
56	Gramin Bank of Aryavart			Secretary to Chairman	Shri Rahol Tandon	7388899774



ANNEXURE

Meeting of SLBC (U.P.) held on 23.05.2013

PARTICIPATION SHEET

Sr. No.	Organization	Designated Member	Status of Participation		Participating Authority & Contact Details	
			Participation	Designation	Name	Contact No.
56	Ballia Etawah Gramin Bank	Chairman	No	Chairman	Shri Nirmesh Kumar	8765956232
57	Baroda U.P. Gramin Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri S N Tripathi	9415600700
58	Kashi Gomti Samyut Gramin Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri B. K. Pandit	98337036728
59	Prathma Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri Rakesh Gupta	05551-2200604
60	Purvanchal Gramin Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri S L Srivastava	9415210545
61	Serve U.P. Gramin Bank	Chairman	No	General Manager	Shri N K Mittal	95557744700
62	Shreyas Gramin Bank	Chairman	No	General Manager	Govind Kumar	7408407390
63	U.P. Sahkari Gram Vikas Bank	Chief General Manager	Yes	Chief General Manager	Shri. Santosh Kumar	9451663766
64	U.P. Cooperative Bank Ltd.	Managing Director	No	Chief General Manager	Pradeep Agarwal	9161888849
65	Axis Bank, Lucknow	Circle Head	Yes	Circle Head	AVP & Nodal Officer	9336820290
66	HDFC Bank, Lucknow	Zonal Head	No	CBM	Shri Anurag Gupta	9648937454
67	ICICI Bank, Lucknow	Regional Head	Yes	Regional Relationship Manager	Shri Vinod Mishra	8400555222
68				Regional Relationship Manager	Shri Mayank Pandey	8577053993
69				Asstt General Manager	Shri Misha Dua	0522-6052320
70	IDBI Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Regional Head	Shri Rajni Pandey	Ms Pallavi Singh
71	Indusind Bank Ltd., Lucknow	Regional Relationship Officer/ State Head	Yes	Regional Head	9721572057	
72	ING Vysya Bank Ltd, Lucknow	Branch Head	No	Branch Manager	Shri Biju K. Philip	
73	The Karnataka Bank, New Delhi	Dy. Gen. Manager	No	Regional Customer Manager	Shri Ajit Bajpai	
74	Kotak Mahindra Bank, Mumbai	State Head	Yes	Chief Manager	Shri Joy K.O.	
75	Federal Bank, Lucknow	Chief Manager	Yes	Senior Executive	Shri Munshi Ifthikhar Kazi	
76	J&K Bank, Gurgaon	Asstt. Gen. Manager	No	Asso. Vice President	9415700014	
77	Nainital Bank Ltd., Nainital	Chairman & CEO	No	Senior Manager	Shri S.C. Joshi	8009241100
78	South Indian Bank, New Delhi	Dy. Gen. Manager/ State Head	No	Senior Manager	Shri Rakesh Raja	8577866733
79	Govt. of U.P.	Chief Secretary	No			
	Govt. of U.P.	Agriculture Production	No			
	Agriculture	Principal Secretary, GoUP	No			
80	Rural Development	Principal Secretary, GoUP	No	Special Secretary	Shri Ashok Kumar	9454413811
81	Institutional Finance	Principal Secretary, GoUP	Yes	Principal Secretary, IF	Shri Arun Singh, IAS	9717200299
	Industries & Export Promotion	Principal Secretary, GoUP	No			



ANNEXURE

Meeting of SLBC (U.P.) held on 23.05.2013

PARTICIPATION SHEET

Sr. No.	Organization	Designated Member	Status of Participation	Participating Authority & Contact Details		
				Designation	Name	Contact No.
Dairy Development	Principal Secretary, GoUP	No				
Khadi & Village Industry Board	Principal Secretary, GoUP	No				
Social Welfare	Principal Secretary, GoUP	No				
Urban Development & SUDA	Secretary, GoUP	No	Project Director	Shri I. P. Kanaujia	9415022466	
MSME	Secretary, GoUP	No	Dy. Secretary	Shri Daya Shankar Singh	9454412242	
Board of Revenue	Commissioner & Secretary, GoUP	No				
Industries	Commissioner & Director, GoUP	No	Dy. Director	Shri S Shukla	9415054007	
Rural Development	Commissioner, GoUP	Yes	Commissioner	Shri K Ravindra Naik	9454464555	
83				Mission Director, NRLM	Dr. Adarsh Singh, IAS	
84				Jt. Mission Director	Shri J P Rastogi	9454412671
85	State Urban Development Agency U.P. Bhumi Sudhar Nigam Ltd.	Director	No	Executive (Credit)	Shri Anil Singh Chandel	9450095722
86	Managing Director	No		Sr. Manager (Credit)	Shri Atul Kumar	9415086119
87	U.P. Minorities Fin. & Dev. Corp.	Managing Director	No	Asstt. Director	Shri Tarun Khanna	9455004893
88	National Commission for SCs, Gol	Director	No	General Manager	Shri P C Singh	9415002008
89	U.P. SC/ST Fin. & Dev. Corp. Ltd.	Managing Director	No			
90	U.P. Backward classes Fin. & Dev.	Managing Director	No			
91	Directorate of Instt. Finance (DIF)	Director	Yes	Director	Shri Shiv Singh Yadav	
92	Addl. Director	Yes		Addl. Director	Shri Rakesh Krishna	9415102888
93				Asstt. Director	Dr Suman Srivastava	0522-4026354
Agriculture	Director	No		Asstt. Director	Shri G P Shukla	4026354
94	Agriculture (Statistics)	Director	No	Jt. Director	Shri R K Gupta	9235629339
National Horticulture Board	Director	No				
Khadi & Village Industry Comm.	State Director	No	Asstt. Director			
95						
96	Khadi & Village Industry Board	Chief Executive Officer	No	Development Officer	Shri Ashutosh Kumar Singh	9415059259
Saglan Mini Dairy Paripojanा	General Manager	No	Dy. CEO	Shri V K Singh	9415463417	
98	Police Headquarter	Director General	No	Manager	Shri S C Verma	7388889096
99	Udyog Bandhu	Executive Director	No	Addl. S P (Crime)	Shri. Bamesh	9454401146
100	National Housing Bank	Regional Manager	Yes	Senior Manager	Shri R. B. Verma	9452149823
101				Deputy Manager	Shri Saurabh Singh	9415511011



ANNEXURE

Meeting of SLBC (U.P.) held on 23.05.2013

PARTICIPATION SHEET

Sr. No.	Organization	Designated Member	Status of Participation	Participating Authority & Contact Details		
				Designation	Name	Contact No.
102	Ministry of Finance, Govt	Director (CP & MF)	Yes	Director (CP & MF)	Dr Alok Pande	9452240045
103	Ministry of MSME, Govt	Director	No	Asst. Director	Shri J.N.S. Yadav	7505075691
104				Asst. Director	Shri V.K. Bhatt	9457837384
105	Ministry of Rural Development	State Project Co-ordinator	Yes	State Project Coordinator	Shri N. C. Sharma	9473968615
106	LIC of India	Regional Manager	Yes	Regional Manager (MI)	Shri K. L. Agarwal	9415193987
107	Oriental Insurance Co. Ltd.	Regional Manager	No	Manager (MI)	Shri Om Prakash	
	United India Insurance Co. Ltd.	Nodal Officer	No			
	National Insurance Co. Ltd.	Dy. Manager	No			
	New India Insurance Co. Ltd.	Regional Manager	No			
108	Federal Bank, Lucknow	Chief Regional Manager	Yes	Chief Regional Manager	Shri Rampal S Rawat	8935030301
109				Asst. Manager	Shri Tarun Kumar Singh	904445266
	GOI	NIC				
Special Invitee						
110	Animal Husbandry	Secretary, GoUP	No	Special Secretary	Shri H S Tewari	9454413297
111				Jt. Director	Dr. Ali Qidwai	8090396756
112	LDM, Allahabad Bank, Shravasti	LDM	Yes	LDM	Shri P.K. Sengar	9935352345
113	LDM, Allahabad Bank, Chitrakoot	LDM	Yes	LDM	Shri Dinkar Singh	8932034505
114	LDM, Central Bank, Etawa	LDM	Yes	LDM	Shri R.B. Maurya	9759005700
115	LDM, Bank of Baroda, Raebareli	LDM	Yes	LDM	Shri Y.N. Shukla	8601804399
116	LDM, Bank of Baroda, Amethi	LDM	Yes	LDM	Shri J.N. Singh	8795833021
	LDM, State Bank of India, Sant Kabirnagar	LDM	No	LDM		
117				Dy. Gen. Manager	Shri V. K. Chaturvedi	9919908444
118				Dy. Gen. Manager	Shri A K Singla	9839112344
119				Assst.Gen. Manager	Shri K. R Kanojia	0522-6677722
120	Sr. Manager	Sr. Manager		Shri K. K Mathur	0522-6677721	
121	Manager	Manager		Shri. G M Dayal	0522-6677730	
122				Shri R K Agrawal	9415182483	
123				Ms Silk Smita	0522-66777694	
124				Ms Preeti Arya	0522-6677726	

Convenor Bank : Bank of Baroda

